भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

Insolvency and Bankruptcy Board of India

सत्यमेव जयते

Insolvency and Bankruptcy Board of India

7th Floor, Mayur Bhawan
Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi - 110 001

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक लेखा 2019-20

www.ibbi.gov.in

सत्यमेव जयते

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

वार्षिक लेखा

2019-20

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
सातवां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
टेलीफोन : +91 11 2346 2900
वैबसाइट: आई बी बी आई . जी ओ वी . इन

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	3
2.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	4-5
3.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	6
4.	तुलन पत्र	7
5.	आय एवं व्यय लेखा	8
6.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	9
7.	तुलनपत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ	10-17
8.	आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ	18-22
9.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23-24
10.	अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	25-39

प्रस्तावना

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के अनुसार 1 अक्टूबर, 2016 को की गई थी। यह संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी अर्थतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है जो कारपोरेट व्यक्तियों,भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों को समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के अधिकतम मूल्य के लिए समेकित और संशोधित करने,उद्यमता,उधार की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन का संवर्धन करता है।

बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर विनियमनकारी निगरानी रखता है। यह संहिता के अधीन प्रक्रियाओं,अर्थात्,कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट समापन,वैयक्तिक दिवाला समाधान और वैयक्तिक शोधन अक्षमताके लिए नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है। उसका कार्य संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों,दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं और अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और पद्धतियों का विकास करना और उन्हें विनियमित करना है। इसे देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम, 2017 के अधीन 'प्राधिकारी' के रूप में पदांकित किया गया है।

संहिता की धारा 223(1) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप)नियम, 2018 तैयार किए।

संहिता की धारा 223(2) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है तथा पत्र सं. ए.ए.एम.जी-II/2(241)/आई.बी.बी.आई. वार्षिक खाता/2020-21/513, दिनांक 28 अक्टूबर 2020 द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की है।

इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा और उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है। इसे संहिता की धारा 223(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) के 31 मार्च, 2020 को यथा-विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 223(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करना आई.बी.बी.आई. के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखा पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधियों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक् रूप में प्रतिवेदित किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में दर्शायी राशि और प्रकटनों का समर्थन करते हैं। किसी लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि:

i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 के अधीन अनुमोदित लेखा प्ररूप में तैयार किए गए हैं।

iii) हमारी राय में, आई.बी.बी.आई द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रकट होता है।

iv) हम इसके अतिरिक्त यह सूचित करते हैं कि:

क. सहायता अनुदान

आई.बी.बी.आई. द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त और उपभोग में लाए गए सहायता अनुदान और 31 मार्च, 2020 को यथा-विद्यमान सहायता अनुदानों के खर्च न किए गए अतिशेष की तथ्यात्मक स्थिति निम्नलिखित रूप में है :-

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त अनुदान	संचयी शेष	उपयोग में लाए गए अनुदान	खर्च न किया गया अतिशेष
अनुदान सहायता (सामान्य)	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00
अनुदान सहायता (वेतन)	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00
अनुदान सहायता (पूंजी)	123.54	0.00	123.54	123.54	0.00
कुल	**123.54**	**2150.00**	**2273.54**	**2273.54**	**0.00**

ख. उन कमियों को, जिन्हें पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है, प्रवंधन पत्र के माध्यम से, उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाई के लिए आई.बी.बी.आई. की जानकारी में लाया जाएगा।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में अपने प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे लेखा वहियों के अनुरूप हैं ।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पढ़ने पर और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं -

क) जहां तक उनका संबंध भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के 31 मार्च, 2020 तक के तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख) जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष संबंधी आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(सी. नेदुंचेजियान)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 28.10.2020

वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा नियुक्त की गई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, अर्थात् मैसर्स वी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा कराई जा रही है और वह 30 सितम्वर, 2019 को समाप्त हुई छमाही के लिए की गई है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आई.बी.वी.आई. में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संगठन के आकार के अनुरूप है ।

3. स्थिर आस्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

आई.बी.वी.आई. में वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था और कोई कमी नहीं पाई गई थी ।

4. वस्तु-सूची के भौतिक सत्यापन की पद्धति

आई.बी.वी.आई की वहियों में 31 मार्च, 2020 को यथा-विद्यमान कोई वस्तु-सूची नहीं है ।

5. कानूनी देयों का भुगतान करने में नियमितता

आई.बी.वी.आई. कानूनी देयों का भुगतान साधारणतया नियमित रुप से करता है ।

हस्ता/-
निदेशक (ए.एम.जी.-II)

प्ररूप-'क'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2020 तक तुलनपत्र

(राशि रुपयों में)

निधि और दायित्व	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
निधि	I	9,35,93,548	7,88,46,898
आरक्षितियां और अधिशेष	II	-	-
चिन्हित और अक्षय निधियां	III	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	IV	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	V	-	-
आस्थगित प्रतय्य दायित्व	VI	2,92,500	3,20,000
वर्तमान दायित्व और उपवंध	VII	11,97,28,839	6,44,34,285
कुल		**21,36,14,887**	**14,36,01,183**
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	VIII	2,18,38,385	1,25,78,262
निवेश - चिन्हित/अक्षय निधियों से	IX	-	-
निवेश - अन्य	X	2,53,49,789	1,55,16,476
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	XI	16,64,26,713	11,55,06,445
विविध व्यय (समाप्त या समायोजित होने तक)	-	-	-
कुल		**21,36,14,887**	**14,36,01,183**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य,	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**
(वित्त एवं लेखा),	**आई.बी.बी.आई.**	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 19.06.2020

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी आय एवं व्यय खाता

(राशि रुपयों में)

आय	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
अनुदान/सहायता राशि	XII	23,46,52,866	18,76,91,497
शुल्क/अंशदान	XIII	5,45,36,965	5,23,13,329
निवेश से आय (निधियों में अंतरित किये गये चिन्हित/अक्षय निधियों में निवेश से प्राप्त आय)	XIV	-	-
रॉयल्टी,प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	XV	-	-
अर्जित ब्याज	XVI	53,08,672	68,36,863
अन्य आय	XVII	76,023	17,112
कुल (क)		**29,45,74,526**	**24,68,58,801**
व्यय			
स्थापना व्यय	XVIII	12,00,51,205	9,48,26,901
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	XIX	12,99,03,981	11,40,46,966
अनुदान/सहायता राशि आदि संबंधी व्यय	XX	-	-
ब्याज	XXI	-	-
अवमूल्यन (अनुसूची VIII से संबंधित वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल योग)	XXII	51,38,934	40,29,590
कुल (ख)		**25,50,94,120**	**21,29,03,457**
व्यय से अधिक की आय का शेष (क-ख) विशेष आरक्षिति में अंतरण सामान्य आरक्षिति में/से अंतरण		3,94,80,406	3,39,55,344
समूह/पूंजी निधि में अंतरित किये गये अधिशेष (कमी)		**3,94,80,406**	**3,39,55,344**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित देयतायें और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य,	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**
(वित्त एवं लेखा),	**आई.बी.बी.आई.**	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 19.06.2020

प्ररूप 'ग'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. खाता खुलने के समय अतिशेष			I. व्यय		
(क) नकदी	-	49,620	क) स्थापना व्यय (अनुसूची XVIII से संबंधित)	9,57,31,786	7,14,52,287
(ख) बैंक में अतिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची XIX से संबंधित)	12,75,85,830	10,09,32,080
(i) चालू खाते में	1,24,42,772	3,88,38,258	ग) इनपुट (निवेश) जी.एस.टी.	1,27,80,454	97,05,015
(ii) जमा खाते में	8,00,00,000	-			
(iii) बचत खाते में	-	-			
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं की निधि के लिए किए गए भुगतान (निधि या परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान ब्यौरे सहित दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
(क) भारत सरकार से	21,50,00,000	20,70,18,000			
(ख) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूंजी और राजस्व व्यय के अनुदान को पृथक् रूप से दर्शाया जाएगा)	-	-			
III. निवेश प्ररूप संबंधी आय			III. निम्नलिखित में से किए गए निवेश और जमा		
(क) चिन्हित / अक्षय निधियां	-	-	क) चिन्हित/अक्षय निधियों में से	-	-
(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश-अन्य)	-	-	(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियों में से (निवेश-अन्य)	95,07,082	75,72,000
IV.प्राप्त ब्याज			IV. स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील पूंजी संबंधी व्यय		
(i) बैंक जमा	73,91,391	47,55,303	क) स्थिर आस्तियों की खरीद	1,52,84,919	52,71,527
(ii) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) प्रगतिशील पूंजी संबंधी व्यय	-	-
V. अन्य आय (आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जनित)			V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
आवेदन फीस	5,58,88,255	5,80,95,672	क) भारत सरकार से	-	-
विविध आय	76,023	17,112	ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं से	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
VII. अन्य कोई प्राप्तियां			VII. अन्य भुगतान		
प्रतिभूति जमा	-	5,00,000	क) प्रतिभूति जमा	12,00,000	-
दिवाला व्यावसायिक – अन्य फीस	2,500	2,82,500	ख) टी.डी.एस. भुगतान	2,54,46,257	1,77,61,872
पूर्ववर्ती वर्ष के प्राप्त अग्रिम	7,962	1,14,149	ग) जी.एस.टी. भुगतान	9,91,110	23,49,620
प्राप्त आउटपुट (उत्पादन) जी.एस.टी.	95,50,636	1,09,21,285	घ) ऋण और अग्रिम	45,27,835	1,39,55,726
शास्ति –सी.एफ.आई.	-	8,51,000	ङ) सी.एफ.आई. में ब्याज और शास्ति	48,65,041	-
समापन और स्वैच्छिक समापन के अदावाकृत आगम	5,85,75,252	-	VIII. अंतिम अतिशेष		
			क) नकदी	59,058	-
			ख) बैंक अतिशेष		
			i) पी.एन.बी. में चालू और स्वीप खाते में	7,09,55,419	1,24,42,772
			(ii) जमा खाते में	7,00,00,000	8,00,00,000
			(iii) बचत खाते में	-	-
कुल	**43,89,34,791**	**32,14,42,899**	**कुल**	**43,89,34,791**	**32,14,42,899**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ

अनुसूची–I

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

निधि

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष राशि	7,88,46,898	2,55,65,051
अतिरिक्त: निधि में किया गया अंशदान	21,50,00,000	20,70,18,000
घटा: निधियों का उपयोग (अनुसूची XXIII का नोट सं. 7 देखें)	-23,97,33,756	-18,76,91,497
जमा/ (कटौती करें) : आय और व्यय खाते से अंतरित आय/ (व्यय) का अतिशेष	3,94,80,406	3,39,55,344
वर्ष के अंत में अतिशेष राशि	**9,35,93,548**	**7,88,46,898**

अनुसूची–II

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

आरक्षितियां और अधिशेष

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.अंतिम खाते के अनुसार पूंजी आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गये घटाएं : वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
2. अंतिम खाते के अनुसार मूल्यांकन आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गये घटाएं : वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
3. अंतिम खाते के अनुसार विशेष आरक्षितियां वर्ष के दौरान जोड़े गये घटाएं : वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
4. अंतिम खाते के अनुसार साधारण आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गये घटाएं : वर्ष के दौरान घटाई गयी राशि	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)	(डॉ एम. एस. साहू)
पूर्णकालिक सदस्य,	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.
(वित्त एवं लेखा),	आई.बी.बी.आई.	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
अनुसूची–III
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
चिन्हित/अक्षय निधियां

(राशि रुपयों में)

	निधि-वार विवरण				योग	
	निधि	**निधि**	**निधि**	**निधि**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-
(ख) निधियों में अतिरिक्त राशि जोड़ना						
(i) दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
(ii) निधियों के खाते में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य अतिरिक्त राशियाँ (प्रकृति स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-	-	-	-
(ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति किया गया प्रयोग/व्यय						
(i) पूंजी व्यय						
– स्थिर आस्तियां	-	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
(ii) राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि	-	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल शेष (क+ख–ग)	-	-	-	-	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)	(डॉ एम. एस. साहू)
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
अनुसूची-IV
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
(क) अवधि ऋण	-	-
(ख) अर्जित ब्याज और देय	-	-
3. बैंक	-	-
(क) अवधि ऋण अर्जित ब्याज और देय	-	-
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें) अर्जित ब्याज और देय	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बांड	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

अनुसूची-V
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
3. बैंक	-	-
(क) अवधि ऋण	-	-
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बांड	-	-
6. स्थिर जमा	-	-
7. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)	(डॉ एम. एस. साहू)
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
अनुसूची-VI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
आस्थगित प्रतव्य दायित्व

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी उपकरण और अन्य आस्तियों के मालबंधक (हाईपोथीकेशन) द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियाँ	-	-
2. अन्य		
-आई.पी.-अन्य फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं.8 देखें)	2,92,500	3,20,000
कुल	**2,92,500**	**3,20,000**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि	1,92,500	2,82,500

अनुसूची-VII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
वर्तमान दायित्व और उपबंध

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. वर्तमान दायित्व				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए		-		-
(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.1 देखें)		4,97,630		46,81,092
3. प्राप्त अग्रिम (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.2 देखें)		20,18,876		32,11,120
4. ब्याज प्रोद्भूत किन्तु निम्नलिखित पर देय नहीं				
(क) प्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
5. कानूनी दायित्व				
(क) अतिरिक्त		-		-
(ख) अन्य				
सी.पी.एफ. अभिदाय (पी.एन.बी. के पास धारित निधियां – अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.3 देखें)	2,23,38,061		1,55,16,476	
एन.पी.एस.अभिदाय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.4 देखें)	6,05,744		8,91,822	
देय टी.डी.एस. (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.5 देखें)	23,24,699	2,52,68,504	30,01,721	1,94,10,019
6. अन्य वर्तमान दायित्व				
प्रतिभूति निक्षेप (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.6 देखें)	5,00,000		15,00,000	
अदावाकृत आगम (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.7 देखें)	5,85,75,252		-	
सहायता अनुदान और अदावाकृत आगमों पर ब्याज (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.8 देखें)	22,75,789		-	
अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.9 देखें)	28,42,796	6,41,93,837	46,43,630	61,43,630
कुल (क)		**9,19,78,847**		**3,34,45,861**
ख. उपबंध				
1. कराधान के लिए		-		-
2. उपदान (अनुसूची XXIII का नोट सं.10.1 देखें)		12,42,720		7,44,747

3. सेवानिवृत्ति /पेंशन				
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.2 देखें)				
– पेंशन मद्धे	16,93,980		9,23,665	
– छुट्टी वेतन अभिदाय मद्धे	34,62,485	51,56,465	14,25,820	23,49,485
4. संचित अवकाश नकदीकरण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.3 देखें)		28,63,182		17,94,357
5. व्यापार वारंटी/दावा		-		-
6. अन्य				
– विद्युत	1,47,188		1,83,957	
– किराया (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.4 देखें)	1,01,38,000		99,15,939	
– वेतन (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.5 देखें)	20,00,098		22,87,077	
– बाह्य स्रोतों से संविदा पर स्टाफ	10,22,373		7,22,400	
–व्यावसायिक प्रभार	7,30,255		5,95,610	
–टेलीफोन	23,329		1,93,005	
–दौरा एवं यात्रा	2,02,021		3,96,104	
–आतिथ्य सत्कार	28,116		1,33,367	
–लेखापरीक्षण फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.6 देखें)	99,000		49,500	
–परीक्षा व्यय	22,09,502		1,04,79,416	
–प्रकीर्ण व्यय	18,87,743	1,84,87,625	11,43,460	2,60,99,835
कुल (ख)		**2,77,49,992**		**3,09,88,424**
कुल (क+ख)		**11,97,28,839**		**6,44,34,285**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)	(डॉ एम. एस. साहू)
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
अनुसूची-VIII [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
स्थिर आस्तियां

(राशि रुपयों में)

	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन				निवल ब्लॉक	
विवरण	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान अतिरिक्त जोड़े गये	वर्ष के दौरान घटाए गये/समायोजित किये गये	वर्ष के अंत के समय लागत	वर्ष के प्रारंभ के समय	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान घटाए गये/समायोजित किये गये	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष की समाप्ति तक	पूर्व वर्ष की समाप्ति तक
क. स्थिर आस्तियां										
1. भूमि										
(क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
(क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाधृत भूमि पर (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	-	46,32,374	-	46,32,374	-	4,63,237	-	4,63,237	41,69,137	-
(ग) स्वामित्व प्राप्त फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) ऐसी भूमि जो इकाई की नहीं है पर बड़े ढाँचे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. यान	-	-	-	-	-	-	--	-	-	
5. फर्नीचर और फिक्सचर (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	4,93,073	1,50,232	-	6,43,305	81,316	57,518	-	1,38,834	5,04,471	4,11,757
6. कार्यालय उपकरण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	40,18,161	5,42,152	-1,89,074	43,71,239	4,63,647	4,26,385	-	8,90,032	34,81,206	35,54,512
7. कम्प्यूटर/पेरिफेरल (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	1,02,11,094	16,15,118	-3,17,603	1,15,08,609	62,31,474	41,91,794	-	1,04,23,268	10,85,341	39,79,619
8. एलेक्ट्रोनिकी इंस्टालेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. ट्यूबवैल और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थिर आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**1,47,22,328**	**69,39,876**	**-5,06,677**	**2,11,55,527**	**67,76,437**	**51,38,934**	-	**1,19,15,371**	**92,40,154**	**79,45,888**
पूर्व वर्ष का कुल	**93,05,679**	**54,16,649**		**1,47,22,328**	**27,46,847**	**40,29,590**	-	**67,76,437**	**79,45,888**	**65,58,831**
ख. प्रगतिशील पूंजी (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.2 देखें)	46,32,374	1,25,98,231	-46,32,374	1,25,98,231	-	-	-	-	1,25,98,231	46,32,374
कुल	**1,93,54,702**	**1,95,38,107**	**-51,39,051**	**3,37,53,758**	**67,76,437**	**51,38,934**	-	**1,19,15,371**	**2,18,38,385**	**1,25,78,262**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
वार्षिक लेखा 2019-20

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
अनुसूची-IX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. अनुषंगी और संयुक्त उधम	-	-
6. अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-X
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
निवेश-अन्य

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. अनुषंगी और संयुक्त उधम	-	-
6. अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 12 देखें)	-	-
– पी.एन.बी. के पास धारित सी.पी.एफ. मद्दे निधियां	2,48,01,528	1,55,16,476
– इंडियन बैंक के पास धारित उपदान मद्दे निधियां	5,48,261	-
कुल	**2,53,49,789**	**1,55,16,476**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
अनुसूची–XI [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रुपयों में)

क	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	वर्तमान आस्तियां:				
	1. ऋण				
	(क) छह मास से अधिक अवधि के लिए देय ऋण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 13.1 देखें)		-		31,53,600
	(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 13.2 देखें)		35,576		26,980
	2. वर्तमान नकद अतिशेष (चैक/ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, इम्प्रेस्ट और नकद विदेशी मुद्रा सहित) (अनुसूची XXIII का नोट सं. 14 देखें)		59,058		-
	3. बैंक अतिशेष				
	(क) अनुसूचित बैंक के साथ				
	पंजाब नैशनल बैंक में अतिशेष (अनुसूची XXIII का नोट सं. 15 देखें)		7,09,55,419		1,14,27,982
	कारपोरेशन बैंक में जमा (अनुसूची XXIII का नोट सं. 15 देखें)		7,17,18,518		8,17,11,513
	(ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ				
	–चालू खाते में		-		-
	–जमा खाते में		-		-
	–बचत खाते में		-		-
	4. डाकघर – बचत खाता		-		-
	कुल (क)		**14,27,68,571**		**9,63,20,075**
ख	**ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां**				
	1. निम्नलिखित को ऋण				
	(क) स्टाफ		-		-
	(ख) अन्य इकाईयों को जो किसी इकाई के समान किसी कार्यकलाप/उद्देश्य के लिए कार्य करती हो		-		-
	(ग) अन्य (स्पष्ट करें)		-		-
	2. नकद या वस्तु प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अन्य वापसी योग्य राशि और अग्रिम				
	(क) पूंजी खाते पर	-		-	
	(ख) पूर्व भुगतान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 16 देखें)	1,71,17,047		1,59,48,313	
	(ग) अन्य				
	वसूली–योग्य जी.एस.टी.	47,09,099		13,68,954	
	वसूली–योग्य टी.डी.एस.	12,88,832		9,84,344	
	प्रतिभूति निक्षेप	4,72,000		1,72,000	
	वसूली–योग्य विविध	71,164		6,77,426	
	स्टाफ	-	2,36,58,142	35,333	1,91,86,370
	3. अर्जित आय				
	(क) चिन्हित/अक्षय निधियों से किये गये निवेश पर		-		-
	(ख) निवेश– अन्य पर		-		-
	(ग) ऋण और अग्रिमों पर		-		-
	(घ) अन्य		-		-
	4. प्राप्य दावा		-		-
	कुल (ख)		**2,36,58,142**		**1,91,86,370**
	कुल (क+ख)		**16,64,26,713**		**11,55,06,445**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ
अनुसूची–XII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
अनुदान/परिदान (वापस ना किये जाने वाले अनुदान और परिदान)

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार (अनुसूची XXIII का नोट सं. 7 देखें)	23,46,52,866	18,76,91,497
2. सरकारी अभिकरण	-	-
3. संस्था / कल्याण निकाय	-	-
4. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
5. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**23,46,52,866**	**18,76,91,497**

अनुसूची–XIII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
शुल्क/अभिदाय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. फाइलिंग शुल्क – आवेदन की फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.1 देखें)		
–दिवाला पेशेवर	55,40,000	68,40,000
–दिवाला पेशेवर एजेंसी	15,00,000	15,00,000
–सूचना उपयोगिताएं	50,00,000	50,00,000
–पंजीकृत मूल्यांकक	94,15,000	59,95,000
– पंजीकृत मूल्यांकक संगठन	1,00,000	8,00,000
–दिवाला पेशेवर संस्थाएं	15,20,340	5,04,224
–परीक्षा शुल्क–सीमित दिवाला परीक्षा	75,33,051	74,54,727
–मूल्यांकन परीक्षा	1,39,78,288	2,35,86,878
–आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक शुल्क	87,55,896	-
3. सेमीनार कार्यक्रम शुल्क (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.2 देखें)	11,16,000	5,52,000
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य – भर्ती से आवेदन फीस	-	80,500
– शिकायत फाइल करने का शुल्क (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.3 देखें)	78,390	-
कुल	**5,45,36,965**	**5,23,13,329**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ
अनुसूची-XIV
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
निवेश से आय
(चिन्हित/अक्षय निधियों में अंतरित होने वाली निधियों में निवेश से आय)

(राशि रुपयो में)

	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
1.ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
2.लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3.किराया	-	-	-	-
4. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची-XV
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1.रॉयल्टी से आय	-	-
2.प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ
अनुसूची-XVI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
अर्जित ब्याज

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1.आवधिक जमा पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ (अनुसूची XXIII का नोट सं. 18 देखें	53,08,672	68,36,863
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ग) संस्थाओं के साथ	-	-
(घ) अन्य	-	-
2.बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ग) डाकघर बचत खाते	-	-
(घ) अन्य	-	-
3.ऋण पर		
(क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
(ख) अन्य	-	-
4.ऋणियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**53,08,672**	**68,36,863**

अनुसूची-XVII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
अन्य आय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1.आस्तियों के विक्रय/निपटान संबंधी पर लाभ		
(क) स्वामित्व प्राप्त आस्तियां	-	-
(ख) अनुदान से प्राप्त आस्तियां या बिना लागत के प्राप्त आस्तियां	-	-
2.विविध सेवायों के लिए शुल्क	76,023	10,752
3.विविध आय	-	6,360
कुल	**76,023**	**17,112**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ
अनुसूची-XVIII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
स्थापना व्यय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	8,74,24,352	6,81,85,549
(ख) भत्ते और बोनस	2,15,10,054	1,73,75,655
(ग) भविष्य निधि/अधिवार्षिकी निधि में अंशदान	20,39,339	20,90,861
(घ) अन्य निधि मे अंशदान – एन.पी.एस.	22,83,818	11,05,519
(ङ) कर्मचारीवृद कल्याण व्यय	-	-
(च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ संवंधी खर्चे	67,93,642	60,69,317
(छ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**12,00,51,205**	**9,48,26,901**

अनुसूची-XIX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) खरीद	-	-
(ख) श्रम और प्रोसेसिंग व्यय	-	-
(ग) गाड़ी भाड़ा और वहन अभियंत्र	-	-
(घ) विद्युत और शक्ति	19,13,534	19,69,282
(ङ) जल प्रभार	2,41,337	9,35,668
(च) बीमा	-	-
(छ) मरम्मत और रखरखाव	52,16,760	8,28,658
(ज) किराया, दर और कर	2,80,45,976	2,48,65,630
(झ) चलने वाले वाहन, रखरखाव या किराया प्रभार	20,98,650	27,64,757
(ञ) डाकखर्च, टेलीफोन और संपर्क प्रभार	19,03,370	17,43,372
(ट) मुद्रण और लेखन-सामग्री	35,40,743	22,89,874
(ठ) यात्रा और परिवहन व्यय (अनुसूची XXIII का नोट सं.6.2 देखें)	1,20,55,674	82,85,344
(ड) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय	34,05,010	20,71,119
(ढ) अंशदान व्यय	6,45,897	2,77,825
(ण) शुल्क संबंधी व्यय	10,04,941	11,98,213
(त) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/कानूनी शुल्क	2,80,000	1,10,000
(थ) आतिथ्य सत्कार व्यय	23,71,344	18,97,572
(द) व्यावसायिक प्रभार	3,24,50,535	2,65,74,081
(ध) गलत और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
(न) वापस न होने वाले समाप्त शेष	-	-
(प) पैकिंग प्रभार	-	-
(फ) माल भाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-
(ब) वितरण व्यय	-	-
(भ) विज्ञापन और प्रचार व्यय	-	-
(म) अन्य		
– बाह्य स्रोतों से संविदा पर रखे गए स्टाफ को भुगतान	1,68,22,664	1,49,62,151
–सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकों पर व्यय	1,54,000	6,60,447
–पुस्तकें और पत्रिकाएँ	1,21,911	1,82,448
–प्रकाशन व्यय	12,23,500	6,38,000
–परीक्षा प्रशासक शुल्क	1,53,02,320	2,11,82,370
–विविध व्यय	11,05,815	6,10,155
कुल	**12,99,03,981**	**11,40,46,966**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ
अनुसूची-XX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
अनुदान, परिदान आदि संबंधी व्यय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता राशि	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-XXI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
ब्याज

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) स्थिर ऋणों पर	-	-
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)	(डॉ एम. एस. साहू)
पूर्णकालिक सदस्य,	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.
(वित्त एवं लेखा),	आई.बी.बी.आई.	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

अनुसूची XXII

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("संहिता") की धारा 223(1) में बोर्ड से समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.एंड ए.जी.) के परामर्श से विहित करे, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करने की अपेक्षा की गई है । केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 अधिसूचित किए ।

1. लेखांकन व्यवहार

वित्तीय विवरणियां, अनुसूची XXIII में नोट 17.1 (छ) के अधीन रहते हुए, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मापदंडों और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार की जाती हैं ।

2. निवेश

2.1 "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों की लागत का वहन करने में, अस्थायी से अलावा गिरावट के लिए प्रावधान किया जाता है ।

2.2 "वर्तमान" के रूप मे वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान **किया** जाता है क्योंकि प्रत्येक निवेश को वैश्विक आधार पर तैयार न करके व्यैक्तिक आधार पर समझा जाता है ।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप सम्मिलित है ।

3. स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों **को वास्तविक मूल्य से अवमूल्यन को कम करके तथा** यदि कोई हानि हो तो प्रावधान किया जाता है । लागत में अधिग्रहण खर्च तथा निर्माण/**संस्थापक** तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होते है जो संपत्ति को उसके आशतयन उपयोग हेतु कार्य करने की दशा में लाने के लिए आवश्यक है।

4. अवमूल्यन

4.1 आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवमूल्यन सीधी रेखा पद्धति, केवल स्थिर आस्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयता के परिवर्तन के कारण उठने वाले लागत समझौता सम्वन्धी अवमूल्यन, जिसे संवंधित आस्तियों के **अवशिष्ट** समय में परिशोधित किया जाता है के अलावा, पर किया जाता है ।

4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में जोड़ना/**घटाना के संबंध में**, समानुपातिक आधार पर अवमूल्यन किया जाता है।

4.3 5,000/- रुपए या उससे कम **राशि वाली आस्तियों का उनके अधिग्रहण** वर्ष में संपूर्ण संरक्षण किया जाता है ।

5. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को उस वर्ष से, जिसमें वह अर्जित होता है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाता है ।

6. विक्रय सम्बन्धी लेखांकन

6.1 विक्रय के अंतर्गत सीमा शुल्क शामिल होता है और उसमें विक्रय वापसी, रिबेट और व्यापार छूट शामिल नहीं होती है ।

7. सरकारी अनुदान/परिदान

7.1 किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में दिए गए अंशदान की प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षण के रूप में समझा जाता है ।

7.2 अर्जित की गई विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों की बावत किए गए अनुदानों को संवंधित आस्तियों की लागत में से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है ।

7.3 सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली के आधार पर किया जाता है और उपयोगिता का लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1 विदेशी मुद्रा में अंकित संव्यवहारों का लेखांकन संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है ।

8.2 यदि विदेशी मुद्रा दायित्व का संबंध स्थिर आस्तियों से है तो वर्तमान आस्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और वर्तमान दायित्वों को वर्ष के अंत में **प्रचलित** विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और पारिणामिक लाभ/हानि को स्थिर आस्तियों **की** लागत में समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में उसे राजस्व समझा जाता है ।

9. पट्टा

पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ **में व्यय किया** जाता है।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

10.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति **के समय देय ग्रेच्युटी** संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर जोड़ा जाता है ।

10.2 कर्मचारियों के संग्रहीत अवकाश नकदीकरण लाभ संवंधी उपबंध को यह मानकर जोड़ा और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर लाभ प्राप्त करने के हकदार है ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)	(डॉ एम. एस. साहू)
पूर्णकालिक सदस्य, (वित्त एवं लेखा), आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति आई.बी.बी.आई.	अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020

अनुसूची-XXIII

अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां

अनिश्चित दायित्व

1.1 इकाई के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - शून्य रुपए । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.2 निम्नलिखित के संबंध में
- इकाई द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटी - शून्य रुपए । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।
- बैंक द्वारा इकाई की ओर से खोले गए **साख पत्र** - शून्य रुपए । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।
- बैंकों के साथ बिल में छूट - शून्य रूपए । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादस्पद मांगें

आयकर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।
जी.एस.टी. - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।
नगर निगम कर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रूपए) ।

1.4 पक्षकारों द्वारा आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए किए गए दावों की बाबत, जिनका इकाई द्वारा विरोध किया गया - शून्य रूपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

2.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा संस्था (एन.आई.सी.एस. आई.) को अगले वित्तीय वर्ष में देय वैबसाइट विकास प्रभार हेतु 20,47,926/- रुपए की राशि शामिल है ।

2.2 पूंजीगत कार्य हेतु मार्च, 2019 के अंत तक मयूर भवन परिसर के फर्नीचर और फिक्सचर/नवीकरण मद्धे 46,32,374/- रुपए की राशि के देयों का **वर्तमान** वित्तीय वर्ष के दौरान सम्यक् रूप से भुगतान कर दिया गया है । इस राशि का प्रावधान **वित्तीय** वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान पूंजी में से किया गया था ।(पूर्व वर्ष - 46,32,374/- रुपए) ।

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तपोषण पट्टा **व्ययवस्था** के अधीन किराए के लिए भावी बाध्यताओं की राशि शून्य रुपए है । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधकों की राय में, वर्तमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में वसूली करने पर कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल राशि के समान है ।

5. कराधान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 422 (ई) द्वारा अधिसूचित बोर्ड की लेखांकन नीति की अनुसूची XXIII के पैरा 5 को ध्यान में रखते हुए, जो निम्न प्रकार पठित है "आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कराधेय आय न होने के कारण, आयकर के लिए कोई उपाबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।" इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 38/2018 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46 के अधीन छूट का उपाबंध किया है । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1 सी.आई.एफ. के आधार पर संगणित **आयातों** का मूल्य :लागू नहीं होता है ।

- तैयार माल का क्रय
- कच्चा माल और संघटक (ट्रांजिट सहित)
- पूंजी माल
- भंडार, अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुएं

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

(i) यात्रा - (चालू वर्ष - 35,33,317/- रुपए) (**पूर्व** वर्ष – 27,99,705/- रुपए) ।

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयार्क, बैंकाक, संयुक्त राज्य अमेरिका, लंदन और मलेशिया के लिए अध्ययन दौरे आयोजित किए थे । अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के सदस्यों के लिए यात्रा और अन्य प्रबंध संबंधित भारतीय उद्धायोग द्वारा किए गए थे । विदेश मंत्रालय, उपगत किए गए ऐसे व्यय के लिए साधारणतया संवद्ध मंत्रालय और संगठन को बिल जारी करता है । बोर्ड द्वारा सिंगापुर और लदन दौरों के बिल अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए उनके लिए **प्रावधान** नहीं किया गया है । विदेश मंत्रालय से बिल प्राप्त होने पर उनका विधिवत्त रूप से लेखांकन और भुगतान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित 6,29,476/- रुपए की राशि के बिल प्राप्त हो गए हैं और उनका विधिवत्त रूप से भुगतान कर **दिया** गया है ।

(ii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में **किए** गए विप्रेषण और ब्याज का संदाय: (चालू वर्ष - शून्य रूपए) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

(iii) अन्य व्यय (चालू वर्ष - अंतराष्ट्रीय **दिवाला** विनियामक संगम को भुगतान की गई सदस्यता फीस - 1,12,092/- रुपए (पूर्व वर्ष - 1,63,213/- रुपए) ।

(iv) विक्रय पर कमीशन (चालू वर्ष - शून्य **रुपए**) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

(v) विधिक और व्यावसायिक व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

(vi) विविध व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (**पूर्व** वर्ष- शून्य रुपए) ।

6.3 विदेशी मुद्रा में उपार्जन (चालू वर्ष - शून्य **रुपए**) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

6क. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखापरीक्षकों के रूप में:

- कराधान संबंधी मामले

- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए
- अन्य - आंतरिक लेखापरीक्षा, जी.एस.टी. और आर.टी.आई. लेखापरीक्षा (चालू वर्ष - 2,80,000/- रुपए) (पूर्व वर्ष - 1,10,000/- रुपए) ।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन आई.सी.ए.आई. के लेखांकन मानक बोर्ड(ए.एस.बी.) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-12(अब आई.ए.एस. 20) के अनुसार किया गया है । ए.एस. 20 में यह उपबंध है कि राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरणी में उन अवधियों के लिए क्रमबद्ध आधार पर माना जाना चाहिए, जो संबंधित लागत से, जो उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए आशयित हैं, उनका मिलान करने के लिए आवश्यक है ।

बोर्ड की निधि का गठन संहिता की धारा 222 के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जो कि निम्नलिखित रूप में है:

"(1) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा–

(क) बोर्ड द्वारा इस संहिता के अधीन प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा -

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाएं ।"

निधि(सहायता अनुदान और आंतरिक प्राप्तियां) की स्थिति और बोर्ड द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान उनका उपयोग(सहायता अनुदानों और आंतरिक प्राप्तियों में से) तथा 31 मार्च, 2020 को यथा-विद्यमान सहायता अनुदानों का खर्च न किया गया अतिशेष, पूर्व वर्ष के आंकड़ों सहित निम्नलिखित रूप में है:

(राशि लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष	2018-19				2019-20				
	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	उपयोग	खर्च न किया गया अतिशेष	प्राप्तियां	उपयोग	स्थिर आस्तियां	अग्रिम	खर्च न किया गया अतिशेष
	1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7	8	9=4+5-(6+7+8)
अनुदान सहायता (सामान्य)	-	1107.00	1107.00	-	950.00	1146.02	20.45	-16.37	-200.10
अनुदान सहायता (वेतन)	-	963.18	963.18	-	1200.00	1200.51	-	27.78	-28.29
अनुदान सहायता (पूंजी)	123.54	-	-	123.54	-	-	123.54	-	-
पूर्ण योग (क)	*123.54*	*2070.18*	*2070.18*	*123.54*	*2150.00*	*2346.53*	*143.99*	*11.41*	*-228.39*
आंतरिक रूप से जनित राजस्व	-	551.83	212.29	339.54	599.22	163.99	-	-	774.77
सकल योग (क+ख)	*123.54*	*2622.01*	*2282.47*	*463.08*	*2749.22*	*2510.52*	*143.99*	*11.41*	*546.38*

नोट -1: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान सहायता(पूंजी) के अधीन वैबसाइट विकास और अन्य आई.टी. क्रियाकलापों पर कुल व्यय तारीख 1 अप्रैल, 2019 को उपलब्ध अनुदान सहायता से अधिक है । अतः स्तंभ 7 में संयुक्त उपयोगिता (व्यय + स्थिर आस्तियां/सी.डब्ल्यू.आई.पी.+ अग्रिम) दर्शाई गई है और उसे प्रारंभिक शेष तक **निर्बंधित** किया गया है । शेष व्यय का वित्तपोषण अनुदान सहायता (सामान्य) में से किया गया है ।

नोट -2: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी. लेखापरीक्षा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कराई गई है और इसलिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी. दायित्व के रूप में 8,80,784/- रुपए का भुगतान बोर्ड की आरंभिक निधि में से किया गया है । उस पर ब्याज प्रभार का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में से किया गया है । इसके अलावा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त सहायता अनुदानों पर 40,14,041/- रुपए की राशि का **ब्याज** चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय को विप्रेषित किया गया है । इसके साथ-साथ, पूर्ववर्ती वर्ष में सहायता अनुदानों पर 1,86,065/- रुपए की राशि का प्रोद्भूत ब्याज चालू वर्ष के दौरान दायित्व के रूप में सृजित किया गया है और आरंभिक निधि में से समुचित समायोजन किया गया है ।

नोट -3: अनुदान सहायता - सामान्य के अधीन (200.10 लाख रुपए) और अनुदान सहायता - वेतन के अधीन (28.29 लाख रुपए) की निधियों की कमी का वित्तपोषण आंतरिक रूप से जनित राजस्व में से किया गया है ।

8. आस्थगित उधार दायित्व

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 में सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायत और परिवाद फाइल करने का उपबंध है, जिसके विनियम 7 के उप-विनियम (8) में इस प्रकार उपबंध किया गया है "जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा" । ऐसे परिवादों के संबंध में, जो प्रक्रियाधीन हैं, प्राप्त 2,92,500/- रुपए की राशि को अनुसूची VI "**आस्थगित** उधार दायित्व" के अधीन दायित्व के रूप में रखा गया है (पूर्व वर्ष – 3,20,00/- रुपए)

9. वर्तमान दायित्व

9.1 4,97,630/- रुपए की राशि के विविध **लेनदारों** के अंतर्गत ऐसे विक्रेताओं के प्रति दायित्व सम्मिलित हैं जो नियमित प्रकृति के हैं । (पूर्व वर्ष - विविध लेनदारों के लिए 46,81,092/- रुपए का चालू वित्तीय वर्ष में विधिवत्त रूप से भुगतान कर दिया गया है) ।

9.2 प्राप्त किए गए अग्रिमों के अंतर्गत बोर्ड के पास आई.पी./आई.पी.ई./आर.वी./ आर.वी.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण/मान्यता के लिए सेवा **प्रदाताओं** और आवेदकों से प्राप्तियां भी शामिल हैं । (चालू वर्ष - 20,18,876/- रुपए- जी.एस.टी. संघटक के वाद शुद्ध) (पूर्व वर्ष 32,11,120/- रुपए - जी.एस.टी. संघटक के वाद शुद्ध)।

9.3 सी.पी.एफ. हेतु अभिदाय की 2,23,38,061/- रुपए की राशि (ब्याज सहित), पंजाब नेशनल बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और मासिक अभिदाय को आवर्ती निक्षेप में अंतरित कर दिया गया है (पूर्व वर्ष - सी.पी.एफ. अभिदाय, उस पर ब्याज सहित 1,55,16,476/- रुपए था) ।

9.4 6,05,744/- रुपए का एन.पी.एस. अभिदाय 31 मार्च, 2020 को यथा-विद्यमान कर्मचारियों के अपने-अपने एन. पी.एस. खातों में प्रेषित **किए** जाने के लिए लंवित अतिशेष के संवंध में है । यह प्रेषण अब कर दिया गया है । (पूर्व वर्ष – 8,91,822/- रुपए) ।

9.5 स्रोत पर काटे गए कर (टी.डी.एस.) के 23,24,699/- रुपए के देय वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-कर और जी.एस.टी. प्राधिकारियों के पास विधिवत्त रूप से जमा करा दिए गए हैं । (पूर्व वर्ष -30,01,721/- रुपए के टी.डी.एस. देय जमा किए गए थे) ।

9.6 5,00,000/- रुपए की राशि एन.एस.ई.-आई.टी. लिमिटेड से सीमित दिवाला परीक्षा के प्रशासन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राप्त की गई है । बी.एस.ई. संस्थान लिमिटेड से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप की राशि को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सम्यक् रूप से लौटा दिया गया है । (पूर्व वर्ष -15,00,000/- रुपए) ।

9.7 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के क्रमशः विनियम 46 और 39 में वोर्ड के लिए यह उपबंध **किया** गया है कि किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई हैं और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम को जमा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोला जाए । तदनुसार, बोर्ड ने क्रमशः समापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करने के लिए दो पृथक् खाते खोले हैं । चालू **वित्तीय** वर्ष के दौरान इन खातों में जमा की गई राशि 5,85,75,252/- रुपए है । (पूर्व वर्ष - शून्य **रुपए**) ।

9.8 बोर्ड के बैंक खातों में जमा की गई सहायता अनुदानों पर ब्याज के रूप में अर्जित 19,14,977/- रुपए और समापन और स्वैच्छिक समापन के अवितरित आगमों पर ब्याज के रूप में अर्जित 3,60,812/- रुपए की राशि 31 मार्च, 2020 तक भारत की समेकित निधि में प्रेषित की जानी है। (पूर्व वर्ष - सहायता अनुदानों पर ब्याज के रूप मे अर्जित 40,14,041/- रुपए की राशि चालू वर्ष के दौरान आरंभिक निधि में से जमा करा दी गई है) ।

9.9 अन्य वर्तमान दायित्व - अन्य के अंतर्गत (i) 20,97,475/- रुपए का संबंध उन अधिकारियों के, जो प्रतिनियुक्ति/अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर **हैं**, मूल संगठनों को किए जाने वाले वेतन से संबंधित प्रेषणों से है; (ii) 30,000/- रुपए उन **परिवादियों** को, जहां परिवादों को अतुच्छ मानकर

विनिश्चित किया गया है, देय प्रतिदायों के लिए है और (iii) 7,15,321/- रुपए मूल्यांकन परीक्षा के आवेदकों को देय प्रतिदायों के लिए हैं । (पूर्व **वर्ष** - 46,43,630/- रुपए) ।

10. प्रावधान

10.1 ग्रेड-ए के अधिकारियों के लिए उपदान की बाबत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 8,91,220/- रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए उनके मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार 3,51,500/- रुपए का प्रावधान किया गया है । (पूर्व वर्ष -7,44,747/- रुपए) ।

10.2 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से **प्रतिनियुक्ति** पर अधिकारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के नियमों के अनुसार या मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति फायदों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान के लिए 11,52,904/- रुपए की राशि और पेंशन के लिए 16,93,980/- रुपए की राशि का प्रावधान **किया** गया है । बोर्ड ने उन अधिकारियों के लिए, जो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर **हैं**, छुट्टी वेतन के रूप में 23,09,581/- रुपए का प्रावधान भी किया है ।(पूर्व वर्ष - 23,49,485/- रुपए) ।

10.3 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निवंधन और शर्तें) नियम, 2016 के नियम 16 के अनुसरण में, जिसमें यह उपवंध है कि "छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा । अध्यक्ष और पूर्णकालिक **सदस्य** किसी भी समय उनके पास जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का भुगतान करवाने के हकदार होंगे ।", अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के लिए 10,81,667/- रुपए का और अन्य **अधिकारियों** के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017 के अनुसार 17,81,515/- रुपए के छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान किया गया है ।(पूर्व वर्ष – 17,94,357/- रुपए) ।

10.4 किराए के प्रावधान के अंतर्गत जीवन विहार भवन के दूसरे तल पर कार्य स्थल के लिए 98,18,000/- रुपए और कार पार्किंग के लिए 3,20,000/- रुपए शामिल हैं । कारपोरेट कार्य मत्रालय के तारीख 17 नवम्बर, 2017 के **पत्र** सं. I-11012/01/2016-इन्फ्रा. के अनुसरण में, जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि बोर्ड **द्वारा** अधिभोग किए जा रहे जीवन विहार भवन के दूसरे तल पर कार्य स्थल के लिए किराए का भुगतान आई.बी.बी.आई. द्वारा किया जाएगा, 15 नवम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए 98,18,000/- रुपए का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 में हुए आंतरिक प्रोदभवनों में से **किया** गया था । बोर्ड ने तारीख 23 जुलाई, 2018 के पत्र सं. आई.बी.बी.आई./स्था./जीवन विहार/75/1109 द्वारा मंत्रालय से जीवन विहार भवन पर अवस्थित कार्यालय स्थान के लिए देयों का भुगतान करते रहने और उसे वोर्ड के अनुदानों मे से समायोजित करने का अनुरोध किया है। (पूर्व वर्ष - 99,15,939/- रुपए) ।

10.5 बोर्ड के सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर **कर्मचारियों** को संदेय 20,00,098/- रुपए के वकाया वेतन और भत्तों के लिए प्रावधन किया गया है । (**पूर्व** वर्ष – 22,87,077/- रुपए)।

10.6 चालू वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जी. एस. टी. लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों और जी.एस.टी. लेखापरीक्षकों को देय 99,000/- **रुपए** की लेखापरीक्षा फीस (टी.डी.एस. के बाद शुद्ध) का प्रावधान किया गया है । (पूर्व वर्ष - 49,500/- रुपए) ।

11. अवमूल्यन

11.1 अवमूल्यन के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्न प्रकार उपबंध किया जाता है:

आस्तियां	अवमूल्यन की दर
कम्प्यूटर/पेरिफेरल/साफ्टवेयर/हार्डवेयर	40%
कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर और फिक्सचर	10%
भवन	10%

11.2 (i) मयूर भवन परिसर के फर्नीचर और **फिक्सचर**/नवीकरण हेतु मार्च, 2019 की समाप्ति तक 46,32,374/- रुपए की राशि के चालू पूंजीगत **कार्य** हेतु देयों का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सम्यक् रूप से भुगतान कर दिया गया है और इसलिए उन्हें भवन- शीर्ष के अधीन स्थिर आस्तियों में परिवर्तित कर दिया गया है । इस राशि का **प्रावधान** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान पूंजी में से किया गया था ।(पूर्व वर्ष - 46,32,374/- रुपए) ।

(ii) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा संस्था (एन.आई.सी.एस. आई.) को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन और वैबसाइट के विकास के लिए अग्रिम के रूप **में** संदत्त 1,25,98,231/- रुपए की राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है । **परियोजनाओं** के पूरा होने और विक्रेता से बिल प्राप्त होने पर इसे संबंधित स्थिर आस्तियों के रूप में **लेखाओं** में लिया जाएगा ।

11.3 पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय माना जाता है और उन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है ।

12. दीर्घकालिक निवेश

अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) दायित्व के लिए 2,48,01,528/- रुपए की राशि का (ब्याज सहित), पंजाब नेशनल बैंक के पास तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियत और आवर्ती निक्षेपों में निवेश किया गया है । इसके अलावा, बोर्ड के उपदान दायित्व के लिए 5,48,261/- रुपए की राशि पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है । (पूर्व वर्ष - 1,55,16,476/- रुपए (ब्याज सहित) ।

13. वर्तमान आस्तियां - ऋणी

13.1 संहिता की धारा 196 के अधीन, बोर्ड या तो स्वयं या किसी अभिहित अभिकरण के माध्यम से सीमित दिवाला परीक्षा का संचालन ऐसी रीति में और ऐसे अंतराल पर करेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए । बोर्ड ने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.), मुम्बई को 31 दिसम्बर, 2016 से परीक्षा का संचालन करने के लिए प्राधिकृत किया था । इसके अलावा, बोर्ड ने तारीख 30 अगस्त, 2017 को प्रत्येक आवेदक के नामांकन के लिए परीक्षा फीस को 1,000/- रुपए से बढ़ाकर 1,500/- रुपए करने का विनिश्चय **किया** था और एन.आई.एस.एम. 1 सितम्बर, 2017 से आई.बी.बी.आई. को प्रति नामांकन 500/- रुपए की प्रतिपूर्ति करेगा । बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में क्रमश: 42,38,500/- **रुपए** और 14,95,500/- रुपए की आय प्रोद्भूत हुई है । एन.आई.एस.एम. से बकाया वसूली-**योग्य** राशि से संबंधित 31,53,600/- रुपए के विविध ऋण की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विधिवत्त रूप से वसूली कर ली गई है । (चालू वर्ष - शून्य) । (पूर्व वर्ष -31,53,600/- रुपए) ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड वार्षिक लेखा 2019-20

13.2 35,576/- रुपए के ऋण -"अन्य" का संबंध दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों से शोध्य **फीस** से है । (पूर्व वर्ष - 26,980/- रुपए) ।

14. नकद अतिशेष

14.1 बोर्ड ने खुदरा नकदी की अग्रदाय **व्यवस्था** बनाई हुई है जिसकी अनुमोदित सीमा 50,000/- रुपए है ।

14.2 बोर्ड के पास 31 मार्च, 2020 तक 100 अमेरिकी डालर और 6700 ज़ार(दक्षिणी अफ्रीकन रैंड) की नकद विदेशी मुद्रा है । इनका **मूल्यांकन** लेखांकन मानक-11 "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" के अनुसार बन्द विनिमय दरों पर किया गया है ।विदेशी मुद्रा धनीय मदों को रिपोर्ट करने पर उद्भूत होने वाले विनिमय अंतर को ए.एस.-11 के अनुसार आय/व्यय के रूप में माना गया है ।

15. बैंक खातों में रखे अतिशेष

पंजाब नेशनल बैंक में रखे अतिशेष में **निम्नलिखित** रकमें शामिल हैं:

चालू खाते में(आंतरिक प्राप्तियां) -2,13,450.34/- **रुपए**(जमा) (पूर्व वर्ष -5,98,856.63/-रुपए(जमा) ।

चालू खाता (अनुदान) में -32,804.90/- रुपए(नामे) (पूर्व वर्ष -1,16,41,629.07/- रुपए (नामे) ।

चालू खाता(समापन) में- 13,50,105.22/- रुपए (नामे) (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

चालू खाता (स्वैच्छिक समापन) में- 10,35,958.85/- रुपए(नामे) (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए)।

स्वीप खातों मे -6,87,50,000/- रुपए । (पूर्व **वर्ष** -14,00,000/- रुपए) ।

आवधिक जमा खातों में -7,17,18,518/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 8,17,11,513/- रुपए) ।

16. पूर्वभुगताये व्ययों के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

क) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा संस्था (एन.आई.सी.एस. आई.) को क्लाउड सेवाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30,33,778/- रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया है । (पूर्व वर्ष के 12,74,343/- रुपए के अग्रिम को विक्रेता से बिल प्राप्त होने पर व्यय के रूप में विधिवत्त रूप से समायोजित कर दिया गया है और पूंजीगत **परियोजनाओं** से संबंधित 40,68,087/- रुपए की राशि को अनुसूची-VIII में चालू पूंजीगत कार्य के रूप में **दर्शाया** गया है) ।

ख) शासी बोर्ड ने 27 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में तीन वर्ष की अवधि के लिए आई.बी.बी.आई. दिवाला पीठ स्थापित करने का निश्चय किया है जिसके लिए एक ही बार एक करोड़ रुपए का अक्षय अनुदान किया गया है । बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार आई.आई.सी.ए. द्वारा उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर प्रत्येक वर्ष इस राशि का परिशोधन किया जा रहा है । (चालू वर्ष - 97,76,644/- रुपए) (पूर्व वर्ष - 1,00,00,000/- रुपए) ।

17. फीस/अभिदान (अनुसूची XIII)

17.1 फाइल करने की फीस/आवेदन फीस: इसके अंतर्गत नीचे दिए गए स्रोतों से प्राप्त फीस शामिल है:

क) दिवाला व्यावसायिक: संहिता की धारा 196(1)(ग) में उपबंधित है कि बोर्ड "इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का **उदग्रहण** करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है" ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन **अक्षमता** बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निम्न प्रकार उपवंध किया गया है:

> "किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप क में दस हजार रुपए के गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । **रजिस्ट्रीकरण** प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण **अनुदत्त** करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन **अस्वीकार** किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 55,40,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 68,40,000/- रुपए) ।

ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपवंध किया गया है कि बोर्ड "इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है" ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 के विनियम 4 में निम्न प्रकार उपवंध किया गया है:

> "(1) एक कंपनी जो दिवाला **व्यावसायिक** एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची के **प्ररूप** क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दस लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है ।
>
> (2) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसे विनियम 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की **समाप्ति** के छह महीने पहले इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क पांच लाख रुपए के साथ नवीकरण के लिए आवेदन कर सकती है ।"

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) **में** यह उपबंध किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अध्यधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी -

> "(क) ....
>
> (ख) .....
>
> (ग) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष पांच लाख रुपए का शुल्क अदा करेगी, उस वर्ष के बाद जिसमें प्रमाणपत्र जारी किया या नवीकृत **किया** गया था।"

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड वार्षिक लेखा 2019-20

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (3) में यह उपबंधित है कि "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा" ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला **व्यावसायिक** एजेंसियों के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम **शीर्ष में लेखंकित की जाती है** । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । **वार्षिक** फीस को दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को माना जाता है । चालू वर्ष - 15,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 15,00,000/- रुपए) ।

ग) सूचना उपयोगिताएं: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपवंध किया गया है कि बोर्ड "इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य **प्रभारों** का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है" ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन **अक्षमता** बोर्ड (सूचना उपयोगिता) लिनियम, 2017 के विनियम 4 में निम्नप्रकार उपवंध किया गया है:

> "(1) सूचना उपयोगिता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति पांच लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।
>
> (2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाने की इच्छुक कोई सूचना प्रतियोगिता अपना रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने से कम से कम छह मास पहले पांच लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को नवीकरण के लिए आवेदन करेगी ।"

विनियमों के विनियम 6 में निम्नप्रकार उपवंध **किया** गया है:

> "(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।
>
> (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इन **शर्तों** के अधीन होगा कि सूचना उपयोगिता -
>
> (क) ....
>
> (ख) ....
>
> (ग) ....
>
> (घ) बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण, जो भी लागू हो, की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, **बोर्ड** को पचास लाख रुपए की फीस का भुगतान करेगी;
>
> (ङ) रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण **प्रमाणपत्र**, जो भी लागू हो, प्रदान किए जाने की तारीख से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर **पन्द्रह** दिनों के भीतर, बोर्ड को पचास लाख रुपए की वार्षिक फीस का भुगतान करेगी।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड सूचना **उपयोगिताओं** के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । **रजिस्ट्रीकरण** अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के

अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस को सूचना **उपयोगिताओं** से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को माना जाता है । चालू वर्ष - 50,00,000/- रुपए (पूर्व **वर्ष** - 50,00,000/- रुपए) ।

घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक: केन्द्रीय सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 3401(ई), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 247 के अधीन उसमें विहित शक्तियों और कृत्यों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को प्रत्यायोजित किया है ।

इसके अलावा, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 6 में निम्नप्रकार उपबंध किया गया है:

> "(1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में पांच हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपावंध-II के प्ररूप क में आवेदन कर सकता है ।
>
> (2) नियम 3 के अधीन **रजिस्ट्रीकृत** मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र भागीदार अस्तित्व या कंपनी प्राधिकरण के पक्ष में दस हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपावंध-II के प्ररूप ख में आवेदन कर सकती है ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड **रजिस्ट्रीकृत** मूल्यांककों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । **रजिस्ट्रीकरण** प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण **अनुदत्त** करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन **अस्वीकार** किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 94,15,000/- रुपए (पूर्व **वर्ष**- 59,95,000/- रुपए) ।

ङ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन: कंपनी (**रजिस्ट्रीकृत** मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 13 में निम्नप्रकार उपबंध किया गया है:

> "(1) कोई पात्र संगठन, जो नियम 12 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के लिए एक रजिस्ट्रीकृत **मूल्यांकक** संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु उपाबंध-II के प्ररूप-घ में प्राधिकरण के पक्ष में एक लाख रुपए का गैर-वापसी योग्य भुगतान आवेदन शुल्क देकर आवेदन कर सकता है ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । **रजिस्ट्रीकरण** प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है। रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन **अस्वीकार** किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 1,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 8,00,000/- रुपए) ।

च) दिवाला व्यावसायिक संस्था: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (2) में निम्नप्रकार उपबंध किया गया है:

> "उप-विनियम (1) के अधीन पात्र कोई **व्यक्ति** बोर्ड की किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में पचास हज़ार रुपए की आवेदन फीस सहित आवेदन कर सकता है ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला **व्यावसायिक** संस्थाओं को मान्यता देने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । मान्यता प्रक्रिया के पूरा होने तक मान्यता फीस अग्रिम शीर्ष में

लेखंकित की जाती है। मान्यता अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन मान्यता फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 11,50,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 4,00,000/-)।

विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) **में** निम्नप्रकार उपबंध किया गया है:

> "यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -
>
> (क) हमेशा विनियम (12) के अधीन **अपेक्षाओं** को लगातार पूरा करेगी;
> (ख) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, जैसा भी मामला हो, तो सात दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगी;
> (ग) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या पक्षकार, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सात दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगी।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 5 के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को दिवाला **व्यावसायिक** संस्थाओं से प्ररूप च में प्राप्त सूचना के आधार पर माना जाता है । चालू वर्ष - 3,70,340/- रुपए (पूर्व वर्ष -1,04,224/-) ।

छ) परीक्षा फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में **निम्नप्रकार** उपबंध किया गया है:

> "यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और **प्रासंगिक** विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक 'सीमित दिवाला परीक्षा' आयोजित करेगा ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड सीमित **दिवाला** परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.एस.ई.-आई.टी. लिमिटेड को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है चूंकि यह राशि अप्रतिदेय है । चालू वर्ष- 75,33,051/- रुपए (पूर्व वर्ष - 74,54,727/- रुपए)।

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 5 के उप-नियम (1) में निम्नप्रकार उपबंध किया गया है:

> "प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो नियम 4 में यथा-विनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव रखते हैं और किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के सदस्य के रूप में अपना शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, एक या अधिक आस्ति **वर्गों** के लिए उनके मूल्यांकन संबंधी वृतिक ज्ञान, कौशल, मूल्य और नैतिक जांच या तो **स्वयं** या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करेगा ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड मूल्यांकन परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.आई.एस.एम. को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के लिए **प्राप्त** फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है चूंकि यह राशि अप्रतिदेय है । चालू वर्ष - 1,39,78,288/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 2,35,86,878/-)

ज) आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक शुल्क: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) में निम्नप्रकार उपवंध किया गया है:-

"यह रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक –

(क) . . . .

(ख) . . . .

(ग) . . . .

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय **वर्ष** में, उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित **व्यावसायिक** फीस के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप ङ में की विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा ।"।

विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) **में** निम्नप्रकार उपबंध किया गया है:

"यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था –

(क) . . . .

(ख) . . . .

(ग) . . . .

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय **वर्ष** में, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा"।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 15 में निम्नप्रकार उपबंध किया गया है:

"ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल **प्रभाव** डाले बिना, जो बोर्ड जैसा कि वह संहिता या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उचित समझे, कर सकता है, किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी दिवाला **व्यावसायिक** संस्था द्वारा फीस के संदाय में विलंब करने पर, इन विनियमों के अधीन फीस का संदाय करने की अंतिम तारीख के पश्चात् असंदत्त फीस की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बोर्ड को संदत्त किया जाएगा"।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 3 और 5 के अधीन आवर्त पर आधारित फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को दिवाला व्यावसायिकों और दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से क्रमशः प्ररूप ङ और प्ररूप छ में **प्राप्त** सूचना के आधार पर मान्यता दी जाती है । चालू वर्ष – 87,55,896/- रुपए । (पूर्व वर्ष – **शून्य** रुपए) ।

17.2 सेमीनार/कार्यक्रम फीस: संहिता की धारा 196(1)(कक) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड "इस संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने में दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संस्थाओं के **कार्यकरण** और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा ।"

इसके अलावा, धारा 196(1)(ग) बोर्ड को इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस या अन्य प्रभार उद्गृहीत करने के लिए **सशक्त** करती है, जिसके अंतर्गत दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिकों और सूचना **उपयोगिताओं** के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है ।

बोर्ड, दिवाला व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई फीस 11,16,000/- रुपए है (पूर्व वर्ष - 5,52,000/- रुपए) ।

17.3 शिकायत और परिवाद शुल्क: भारतीय **दिवाला** और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) में निम्नप्रकार उपवंध किया गया है:

"ऐसा पणधारी, जो कोई परिवाद फाइल करना चाहता है, उसे बोर्ड के समक्ष प्ररूप क में फाइल करेगा और उसके साथ भारतीय **दिवाला** और शोधन अक्षमता बोर्ड के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय दो हजार पांच सौ रुपए का मांगदेय ड्राफ्ट या बोर्ड के खाते में फीस मद्धे संदत्त दो हजार पांच सौ रुपए की आनलाइन अभिस्वीकृति लगाई जाएगी ।"

इसके अतिरिक्त, विनियमों के विनियम 7 के उपविनियम (8) में यह उपबंध है कि "जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का **प्रतिदाय** करेगा ।" प्राप्त की गई फीस "आस्थगित उधार दायित्व" शीर्ष के अधीन दर्शाई जाती है और यदि बोर्ड द्वारा शिकायत/परिवाद को तुच्छ पाया जाता हैतो इसे आय माना जाता है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई आय 78,390/- रुपए है । (पूर्व वर्ष – शून्य रूपए) ।

18. अर्जित ब्याज: चालू वर्ष के दौरान अर्जित **ब्याज** के अंतर्गत ये हैं – (i) पंजाब नेशनल बैंक में स्वीप सुविधा वाले चालू खाते में अर्जित ब्याज – 6,60,634/- रुपए; और (ii) नियत निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज – 46,48,038/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 68,36,863/- रुपए) ।

19. पूर्व अवधि के ऐसे व्यय जिन्हें चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है- (i) भारतीय कॉस्ट अकाउंटेंट संस्थान को संस्थान द्वारा लोदी रोड, नई **दिल्ली** स्थित आई.सी.ए.आई. में बोर्ड की आरंभिक स्थापना के दौरान बोर्ड की ओर से वित्तीय **वर्ष** 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 2,36,704/- रुपए **की** राशि का संदाय किया गया है ।(ii) बोर्ड में अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए **वित्तीय** वर्ष 2017-18 में वेतन बिल की प्रतिपूर्ति के लेखे चालू वर्ष में 2,80,068/- रुपए के व्यय को स्वीकार किया गया है ।(iii) मुम्बई में तारीख 16-17 फरवरी, 2018 की अवधि के दौरान आयोजित सातवीं आई. पी. कार्यशाला पर 1,33,705/- रुपए की राशि उपगत की गई है । (iv) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को पूर्व वित्तीय वर्ष में इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रभारों के **रूप** में संदत्त की गई 98,290/- रुपए की राशि को, विक्रेता से कर बीजक प्राप्त होने पर चालू **वित्तीय** वर्ष के दौरान व्यय के रूप में सम्यक् रूप से समायोजित किया गया है । (v) एन.आई.सी.एस.आई. को वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित क्लाउड सेवाओं के लिए 21,93,720/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है । इसे विक्रेता से कर बीजक प्राप्त होने पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के रूप में सम्यक् रूप से स्वीकार किया गया है । (vi) वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित 14,928/- रुपए की राशि के मुद्रण और लेखन-सामग्री व्यय को विक्रेता से कर बीजक **प्राप्त** होने पर चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है ।

20. वित्तीय विवरणियों को भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुरूप तैयार करने के लिए बोर्ड से ऐसे प्राक्कलन और ऐसी उपधारणाएं करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणियों में आस्तियों, दायित्वों,

आय और व्यय की प्रतिवेदित रकम को प्रभावित करते हैं । यद्यपि यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग में लाए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं तथापि वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं । वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच जो अंतर है उसे उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/फलीभूत होते हैं, सुसंगत लेखा शीर्ष में आय/व्यय के रूप में माना जायेगा।

21. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः एकत्रित/व्यवस्थित किया गया है ।

22. अनुसूची I से अनुसूची XXIII उपाबद्ध की जाती हैं और वे 31 मार्च, 2020 को यथा–विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का अभिन्न भाग गठित करती है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य,	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.**
(वित्त एवं लेखा),	**आई.बी.बी.आई.**	
आई.बी.बी.आई.		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.06.2020